

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 91/सु/2015-16

प्रमाणित किया जाता है डा. के. मेमोरियल डिस्पेंसरी

सेवान ससुन वडन-13 जिला सुसुन
2137003

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम 28, 1958
के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आच किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 21/5/2015

माह 5/5/2015 सन 2015 को सुसुन

में दिया गया।

21/5/2015
रजिस्ट्रार
संस्था, सुसुन

संतोष फोटो स्टेट एवं स्टेशनर्स, फार्म के थोक व खुदरा विक्रेता, नगर परिषद के सामने, सुसुन, फोन नं. 01592-232826





21/11/17

Sublet

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

4. संपत्ति
 3. संपत्तिगत
 2. विधि
 1. संरक्षक
- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।
4. संस्था के उद्देश्यों में कति आस्था रखता हो।
 3. धार्मिक, विचारधारा न हो।
 2. धार्मिक हो।
 1. संस्था के कार्यक्रम में निवास करने हो।

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकते।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण में कोई नाम परिवर्तन नहीं है।

11	
10	
9	संस्था के उद्देश्यों में कति आस्था रखता हो।
8	धार्मिक, विचारधारा न हो।
7	धार्मिक हो।
6	संस्था के कार्यक्रम में निवास करने हो।
5	संस्था के उद्देश्यों में कति आस्था रखता हो।
4	धार्मिक, विचारधारा न हो।
3	धार्मिक हो।
2	संस्था के कार्यक्रम में निवास करने हो।
1	संस्था के उद्देश्यों में कति आस्था रखता हो।

3. संस्था का उद्देश्य :

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

कायदा 21/11/17

संस्था का उद्देश्य

2. पूर्णकृत कार्यक्रम :

इस संस्था का पूर्णकृत कार्यक्रम

संस्था/संस्थापक/संस्था के सदस्य हैं।

संस्था का नाम : 21/11/17

विधान नियमावली

संस्था/संस्थापक/संस्था के सदस्य हैं।

निम्नलिखित है

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	राजेश्वर सिंह आ. श्री रामचरण	धामपार	मोहन जमीनर स्कूल के पास, रोड नं. 3, सुझर	अध्यक्ष
2	सुमित्रा देवी आ. श्री राजेश्वर सिंह	गृहणि	मोहन जमीनर स्कूल के पास, रोड नं. 3, सुझर	मंत्री
3	विद्याधर आ. श्री बिरबलराज	कृषक	ग्रा. पौ. दोरासर जिला - सुझर	कोषाध्यक्ष
4	संजय कुमार आ. श्री विद्याधर	कृषक	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	उप मंत्री
5	मन्मथ आ. श्री रामनाथ	कृषक	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	उपाध्यक्ष
6	सुमित्रा देवी आ. श्री राजेश्वर सिंह	गृहणि	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	सदस्य
7	मनोज आ. श्री जयप्रकाश	कृषक	मुगादरी गार् के पास दोरासर - सुझर	सदस्य
8	सुमन आ. श्री राजेश	गृहणि	ग्रा. पौ. कालीनी काउं. नं. 6, सुझर	सदस्य
9	जाग चंद आ. श्री रामचरण	कृषक	रोहन की दाकी जिला - सुझर	सदस्य
10	शक्ति आ. श्री शोभा	कृषक	ग्रा. पौ. दोरासर जिला - सुझर	सदस्य
11	मोहन सिंह आ. श्री गजानन	कृषक	ग्रा. पौ. मालसर जिला - सुझर	सदस्य
12	सतीश आ. श्री मीरानंद	गृहणि	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	सदस्य
13	सुमित्रा आ. श्री मन्मथ कुमार	गृहणि	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	सदस्य
14	सुमन आ. श्री राजेश	गृहणि	रामपुर की लस रामपुर पुराना जिला - सुझर	सदस्य
15	संगीता आ. श्री मन्मथराज	गृहणि	मोहन की दाकी दोरासर जिला - सुझर	सदस्य

गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	राजेश्वर सिंह जी राजेश्वर	आधार	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	राजेश्वर
2	सुमित्रा देवी जी राजेश्वर	गृहिणी	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	Subh
3	विद्यालक्ष्मी जी विद्यालक्ष्मी	कृषक	गा. प. 2, रा. 3, रा. 3	विद्यालक्ष्मी
4	सज्जन कुमार जी विद्यालक्ष्मी	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सज्जन
5	मनीषा देवी जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	मनीषा
6	सुमित्रा देवी जी राजेश्वर	गृहिणी	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सुमित्रा
7	मनीषा देवी जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	Mansi
8	सुमित्रा देवी जी राजेश्वर	गृहिणी	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सुमित्रा
9	राजेश्वर जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	राजेश्वर
10	सज्जन जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सज्जन
11	मनीषा देवी जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	मनीषा
12	सुमित्रा देवी जी राजेश्वर	गृहिणी	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सुमित्रा
13	राजेश्वर जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	राजेश्वर
14	सज्जन जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	सज्जन
15	मनीषा देवी जी राजेश्वर	कृषक	महिला प्रहरी केंद्र के पास, रा. 3, रा. 3, रा. 3	मनीषा
16				
17	1. संस्था का पंजीयन क्रमांक	51/2015/16		
18	2. संस्था का नाम	आर. 3, रा. 3, रा. 3		
19	3. किन्तु नरना	रा. 3, रा. 3, रा. 3		
20	4. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्था	रा. 3, रा. 3, रा. 3		
21	5. दिनांक पंजीयन	04/11/2015		
	6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार संस्था	रा. 3, रा. 3, रा. 3		

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

मनीषा देवी राजेश्वर

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

1. सरलक राशि वार्षिक/आजन्म
 2. विशिष्ट राशि वार्षिक/आजन्म
 3. सम्मानीय राशि वार्षिक
 4. साधारण राशि वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रुपये को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता के निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।
 1. मृत्यु होने पर
 2. त्याग पत्र देने पर
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
 3. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर
 उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर
 साधारण सभा के निर्माण हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा का बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।
 8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम सं. 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्णय करेंगे।
 9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
 2. वार्षिक बजट पारित करना।
 3. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के विधान से संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
 (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)

10. साधारण सभा की बैठकें : 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।
 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति बैठक में कोरम में कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय चर्चा होंगे जो पूर्व में एजेण्डा में थे।
 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्यक्ष द्वारा 1 माह में अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। विधार्थित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक व बुलाये जाने पर उक्त वक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाली समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा। जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे-
 (1) अध्यक्ष - एक (2) उपाध्यक्ष - एक (3) मंत्री - एक
 (4) कोषाध्यक्ष - एक (5) सदस्य - तीन
 (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पर या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में पदाधिकारी सदस्य कुल सदस्य होंगे।

13. कार्यकारिणी के अधिकार :

और कर्तव्य

2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी और कर्तव्य होंगे।

1. सदस्य बनाना और निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन में कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पूरी जानकारी आम सभा में करना आवश्यक होगा।

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) अध्यक्ष

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठक आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(ख) उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(ग) मंत्री

1. बैठक आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।
3. आय-व्यय पर नियंत्रण करना।
4. पत्र व्यवहार करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
6. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(घ) उपमंत्री

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य का संचालन करना।
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

(ङ) कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

1. चन्दा

2. शुल्क

3. अनुदान

4. सहायता

5. राजकीय अनुदान

(क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।

(ख) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा।

17. कोष सम्बन्धी

विशेषाधिकार

: संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकें।

1. अध्यक्ष 5 (मि२५) रुपये

2. मंत्री 5 (मि२५) रुपये

3. कोषाध्यक्ष 2 (मि२५) रुपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण

जावेगा।

: संस्था के समस्त लेखा जोखा का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट से कराया

19. संस्था के विधान में

परिवर्तन

: संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन

: यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का सामान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखा-जोखा

का निरीक्षण

: रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनू को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

22. वित्तीय वर्ष

: संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
झुंझुनू

समिति/सोसायटी/संस्था की सही
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)
व सची प्रतिलिपी है।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 31/31/2015-16
2. संस्था का नाम आर.के. मेमोरियल शिक्षण संस्था
3. किरम दरतावेज 15/11/2015
4. दरतावेजों की संख्या 15/11/2015
5. दिनांक व स्थान 04/11/2015
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार झुंझुनू

Sublime



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 91/JJN/2015-16

दिनांक / DATE- 28-03-2025

RK MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN JHUNJHUNU जिला झुन्झुनू राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड में संधारित किया जाता है।

RK MEMORIAL SHIKSHAN SANSTHAN JHUNJHUNU DISTRICT Jhunjhunu IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Anil Kumar Sharma	MALE	Member		18/12/1979
2		Jagchand	MALE	Member		07/07/1967
3		Jitendra Budania	MALE	Member		20/10/1982
4		Mani Ram	MALE	Member		01/12/1976
5		OM PRAKASH GODARA	MALE	MEMBER		01/07/1977

Signature Not-Verified

Digitally signed by Vibha Khetan
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.03.28 16:00:11 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu



Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		PUSHPA KANWAR	FEMALE	MEMBER		15/06/1989
7		Pushpendra Budania	MALE	Member		18/01/1981
8		Rajendra Singh	MALE	Persident		28/10/1960
9		Rajesh Mandiwal	MALE	Treasurer		05/08/1977
10		Rampratap	MALE	Member		01/10/1952
11		Sajjan Kumar	MALE	Member		01/07/1980
12		Sangeeta Devi	FEMALE	Depty Persident		10/01/1989
13		Savitri	FEMALE	Member		05/09/1956
14		Shish Ram	MALE	Member		10/07/1976
15		Subhita Devi	FEMALE	Depty Secretary		01/01/1968
16		Suman Devi	FEMALE	Member		01/01/1982
17		Suman Devi	FEMALE	Member		10/07/1979
18		Sumer Devi	FEMALE	Member		01/01/1968
19		Sunita	FEMALE	Member		01/07/1984
20		Vidhadhar	MALE	Member		05/05/1951
21		VIRENDRA SINGH	MALE	SECRETARY		15/11/1985

नोट- इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जाये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vibha Khetan
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.03.28 16:00:11 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu





Signature Not Verified

Digitally signed by Vibha Khetan
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.03.28 16:00:11 IST
Reason: Approved
Location: Jhunjhunu